



# बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)  
ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

पत्रांक— BSEIDC/TECH/289/2019 (Vol-I)- 275

पटना, दिनांक: 15.10.2021

प्रेषक,

मुख्य अभियंता  
BSEIDC, पटना।

सेवा में,

Binod Yadav,  
Parasmani, Sarsi,  
Distt.-Purnia.

विषय:— बिहार राज्य अंतर्गत “Construction of Block Resource Centre at Narpatganj, Araria, SL. No.-79” (एकरारनामा सं०-101 F2 of 2018-19 दिनांक-29.10.2018) को F<sub>2</sub> एकरारनामा के Clause 3 के प्रावधानों के अंतर्गत Rescind करने के संबंध में।

प्रसंग: कार्य० अभियंता, पूर्णियाँ प्रमण्डल का पत्रांक—BSEIODC/PUR/EE-463 दिनांक—21.09.2020, पत्रांक—BSEIODC/PUR/EE-324 दिनांक—02.07.2020 तथा इस कार्यालय का पत्रांक—BSEIDC/TECH/2578/2017-4028 दिनांक—06.08.2020 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि “Construction of Block Resource Centre at Narpatganj, Araria, SL. No.-79” कार्य का एकरारनामा (सं०-101 F2 of 2018-19) दिनांक-29.10.2018 को किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 28.01.2020 (15 माह) थी। कार्य की समाप्ति की तिथि से 11 माह से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक आपके द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता, पूर्णियाँ प्रमण्डल द्वारा आपको कार्य पूर्ण करने हेतु बार-बार निदेश दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक—BSEIDC/TECH/2578/2017-4028 दिनांक—06.08.2020 द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण एकरारनामा की सुसंगत कंडिकाओं के तहत विषयक एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित कर Security Deposit को जप्त करते हुए आपके निबंधन को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 क (ii) के आलोक में काली सूची में दर्ज करने के संबंध में कारण पृच्छा की गई एवं सात दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था। जिसके आलोक में आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। वर्तमान में भी आपके द्वारा लम्बी अवधि से कार्य बंद रखा गया है।

उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पूर्णियाँ प्रमण्डल के पत्रांक—BSEIODC/PUR/EE-463 दिनांक 21.09.2020 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गई है।

